Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **इंटेलिजेन्स एकेड़मी जयपुर में एसीबी के अधिकारियों हेतु आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरणों डी.ए.केसेज के अनुसंधान के संबंध में दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाल का समापन**
- **डी.ए.केसेज में प्रभावी अनुसंधान एवं कार्यवाही का रोडमैप तैयार**

जयपुर, *17 फरवरी, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय राज. जयपुर द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज किये जाने वाले प्रकरणों डी.ए.केसेज अनुसंधान का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अपने अधिकारियों के लिये सी.बी.आई. के सहयोग से **दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला** का आयोजन इंटेलिजेंस एकेड़मी, नेहरू नगर, जयपुर में 16–17 फरवरी, 2023 को किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि भष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीती के अनुरूप भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज किये जाने वाले प्रकरणों डी.ए.केसेज अनुसंधान का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अपने अधिकारियों के लिये **सी.बी.आई.** के सहयोग से **दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला** का आयोजन इंटेलिजेंस एकेड़मी, नेहरू नगर, जयपुर में 16–17 फरवरी, 2023 को किया गया, जिसका आज समापन हुआ।

इस अवसर पर समापन सत्र में **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक)** ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यशाला एसीबी द्वारा किये जाने वाले डी.ए. केसेज के अनुसंधान को और **अधिक प्रभावी बनाने** तथा लोकसेवकों द्वारा अपने भ्रष्ट आचरण से अर्जित की गई अकूत सम्पत्ति को विधि अनुसार **अटैच करवाने** की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने का रोड़मैप तैयार करने में सहायक होगी। उन्होंने सी.बी.आई अधिकारियों तथा उपस्थित अधिकारियों का कार्यशाला के सफल आयोजन के लिये आभार व्यक्त किया।

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।